न्यायालय–डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर (म.प्र.)

CNR	:	MP42010036652023	Date of Filing	:	25-07-2023
Case No.	:	SC NIA/168/2023	Date of Registration	:	25-07-2023
Prosecution	:	Manager by Judicial Employees Branch Co-operative Society Maryadit Shajapur	Accused	:	Ajay Jatav
Petitioner Advocate	:	MADAN SINGH CHOUHAN SJR	Respondent Advocate	:	
			FIR No. / Year	:	
Police Station	:				
Amount	:	50000.00			

अंतरिम कार्यवाही

13.08.2024

इसी प्रक्रम पर परिवादी की ओर से श्री मदन सिंह चौहान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में दर्शित कारण उचित होने से प्रकरण के बाद सुनवाई में लिया गया।

परिवादी सहित श्री मदन सिंह चौहान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

इसी प्रक्रम पर परिवादी ने व्यक्त किया है उसे प्रकरण की विवादित राशि प्राप्त हो गई है। इस कारण वह प्रकरण नहीं चलाना चाहता है। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 257 द.प्र.स. पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि परिवादी संस्था द्वारा स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय, दबाव, उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता श्री एम.एस. चौहान परिवादी संस्था के अधिकृत अधिवक्ता है। अभियुक्त पर **धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है, परिवादी को संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाने से परिवादी को प्रकरण प्रत्याहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध से **अभियुक्त अजय जाटव पिता हरिराम जाटव, आयु 27 साल, निवासी– आगर–मालवा म.प्र. को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अभियोग से दोषमुक्त किया जाता है।**

अजय जाटव को जारी स्थाई वारंट अदम तामील वापसी इस न्यायालय को प्राप्ति हेतु थाना प्रभारी आगर को पत्र लेख किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण समयावधि में विधिवत दाखिल अभिलेखागार हो।

13/8/2024

डॉ. स्वाति चौहान
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
शाजापुर (म.प्र.)